

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक : अपील-जबलपुर/भूरा./2018/6078

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर |
|--------------|---|---|
| 3/1/19 | <p>उभय पक्ष को पूर्व पेशी पर बहस में सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1623/17-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों, लेखी बहस के तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1880/2015 में पारित आदेश दिनांक 6-4-15 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 214 बी-121/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-1-18 से आवेदक के स्वामित्व की नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई भूमि) के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर का प्रकरण क्रमांक 214 बी-121/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-1-18 नगर भूमि सीमा अधि. के अंतर्गत है इस आदेश की अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष हुई है एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 1623/17-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-2018 से अपील खारिज की है। विचार योग्य है कि सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश एवं उसके विरुद्ध इसी अधिनियम के अंतर्गत अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील</p> | |

पोषणीय है ? नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 (1) एवं (3) इस प्रकार है :-

धारा - 33 अपील -

- (1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये आदेश से , जो धारा 11 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश से तीस दिन के भीतर जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाय। (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) :
- (2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।
- (3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

उपधारा 2 में बताया गया है कि अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसका यथासंभव शीघ्रता से उस पर आदेश करना होता है जो वह ठीक समझे व उपधारा 3 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा अर्थात् उसके विरुद्ध कोई अपील/रिवीजन नहीं लगेगी।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 18-9-18 के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रचलन-योग्य न होने से अमान्य की जाती है।


सदस्य